रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2004/भाद्र 3, 1926
No. 365] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2004/BHADRA 3, 1926

कोयला एवं खान मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 540(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान नियंत्रण नियम, 2004 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(i) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है ;

(ii) "कोयला" के अंतर्गत एंथ्रासाइट, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट और कार्बनमय पदार्थ के अन्य रूप भी हैं, जिन्हें कोयला और कोक के रूप में भी बेचा अथवा बाजार में भेजा जाता है ;

(iii) "कोयला नियंत्रक" से कोयला नियंत्रक संगठन (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1986 के उपबंधों के अधीन इस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत हैं ;

(iv) "कोयला खान" से अभिप्रेत है ऐसी कोई खान अथवा खुली खदान जहाँ से अथवा उसकी प्राप्त खनन, उत्खनन अथवा इसमें किए जाने वाले अन्य प्रचालन का मुख्य उद्देश्य कोयले को चुनना है और इसके अंतर्गत कोक के उत्पादन अथवा कोयले की धुलाई के संयंत्र भी हैं ;

(v) "सुपुर्दगी" में स्वामित्व अथवा किसी स्वामित्व के हक को सुपुर्द करने पर सहमति अथवा उसे पेश करना और सुपुर्द करना, कब्जे का अधिकार और ऐसा कब्जा, जो स्वामित्व अथवा किसी मालिकाना हित अथवा कब्जे लेने के अधिकार कोई सुपुर्दग सहित हो अथवा न हो, भी हैं ;

(vi) कोयला खान के संबंध में जब "अभिकर्ता" "प्रबंधक" और "स्वामी" शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो इनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः खान अधिनियम, 1952 में इनके लिए समनुदेशित हैं ;

(vii) कोयला के संबंध में जब "आकार" का प्रयोग किया जाएगा तब उसका विनिर्देश वही होगा, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अपने विनिर्देश संख्या आई.एस. : 437 - 1979 में दिए जाते हैं ।

3. कोयले का वर्गीकरण : केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन वर्गों, श्रेणियों और आकारों को जिनमें कोयले को वर्गीकृत किया जा सकेगा और कोयले के प्रत्येक ऐसे वर्ग, श्रेणी अथवा आकार के विनिर्देशों को विहित कर सकेगी ।

4. कोयले के वर्गीकरण की प्रक्रिया : (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम 3 के अधीन अधिसूचित वर्गीकरण के आधार पर कोयला नियंत्रक कोयला खान में खनित कोयले की श्रेणी की घोषणा और उनके अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए नमूना लेने की प्रक्रिया और पद्धति अधिकथित करेगा ।

(2) उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कोयला खान का स्वामी, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक कोयला खान में किसी सीम के किसी भाग के कोयले के वर्गों, श्रेणियों अथवा आकारों की घोषणा करेगा ।

(3) कोयले के घोषित वर्ग, श्रेणी अथवा आकार की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक कोयला नियंत्रक को कोयला खान का निरीक्षण करने देंगे । निरीक्षण के दौरान कोयला नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यदि नमूना लेने का निर्णय लेता है तो कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक उसे ऐसे नमूने लेने के लिए सभी उपयुक्त सुविधाएं और सहायता प्रदान करेगा ।

(4) निरीक्षण अथवा नमूना लेने के बाद यदि कोयला नियंत्रक इस बात से संतुष्ट हैं कि कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक द्वारा घोषित श्रेणी नियम (3) के अधीन अधिसूचित श्रेणी के अनुरूप नहीं है तो कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक, कोयला नियंत्रक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार श्रेणी में संशोधन करने के लिए बाध्य होगा ।

(5) यदि कोयला के श्रेणियों की घोषणा करने के संबंध में कोयला खान का स्वामी और उपभोक्ता के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता हो तो उक्त विवाद कोयला नियंत्रक को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय मानने के लिए कोयला खान का स्वामी बाध्य होगा । इस प्रकार के विवाद के संबंध में कोयला नियंत्रक को दिए जाने वाले संदर्भ ज्ञापन के साथ 2500/- रुपए की फीस संलग्न की जाएगी और यह कोयला नियंत्रक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट तरीके अनुसार होगी ।

5. कोयला नियंत्रक को सूचनाएं और विवरणियां प्रस्तुत करना : कोयला खान का प्रत्येक स्वामी और कोयला के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण अथवा व्यापार और वाणिज्य संबंधी कारोबार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, कोयला नियंत्रक द्वारा निदेशित किए जाने पर ऐसी विवरणियों और अन्य सूचनाओं को उस समयावधि में प्रस्तुत करेगा, जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

6. कोयला स्टाक के व्ययन को विनियमित करने के निदेश : केन्द्रीय सरकार समय-समय पर, जैसा वह उपयुक्त समझे, कोयले के स्टाक को अथवा किसी भी अवधि के दौरान कोयला खान में कोयले के संभावित भंडार को विनियमित करने के लिए कोयला खान के किसी स्वामी को निदेश जारी कर सकती है ।

7. गुणवत्ता संबंधी निगरानी के लिए कोयला नियंत्रक की शक्ति : कोयला नियंत्रक अथवा उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित के लिए सक्षम है :-

(क) कोयले की श्रेणी और आकार के संबंध में कोयला नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लदान को समायोजित करने के लिए और कोयले से लदे वैगनों, ट्राली अथवा ट्रकों से शेल और पत्थरों जैसे खराब कोयला हटाने के लिए कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक अथवा कोई भी व्यक्ति जो वैगनों, ट्राली अथवा ट्रक में कोयले के लदान से जुड़ा हो अथवा उसका प्रभारी हो, को निदेश दे सकता है ;

(ख) निरीक्षण के बाद लदान के समायोजन के लिए कोयला खान अथवा वे-ब्रिज पर वैगनों, ट्राली अथवा ट्रक को रोक सकेगा ;

(ग) कोयले के विनिर्दिष्ट मात्रा और परिणाम के साथ उतारने और पुनः लदान के लिए वे-ब्रिज से वैगन, ट्राली अथवा ट्रकों को लौटा सकेगा ।

8. कोयले के खनन अथवा उत्पादन को सीमित करने अथवा प्रतिषेध करने की शक्ति :- केन्द्रीय सरकार किसी कोयले खान के स्वामी को कोयला की किसी श्रेणी के उत्पादन अथवा खनन को सीमित करने अथवा प्रतिषेध करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जैसे वह ठीक समझे और कोयला खान का स्वामी इन निदेशों का अनुपालन करेंगे ।

9. कोयला खान, सीम अथवा सीम के किसी भाग को विवृत्त करने के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता:-

(1) कोई भी कोयला खान का स्वामी केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोयला खान, सीम अथवा सीम के किसी भाग को विवृत्त नहीं करेगा ।

(2) किसी कोयला खान का स्वामी किसी ऐसी कोयला खान अथवा सीम अथवा सीम के किसी भाग में खनन कार्य केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्वानुमति के बिना भी शुरू नहीं करेगा, जिसमें खनन प्रचालन 180 दिनों से अधिक समय से बंद पड़े हैं ।

10. निलंबित अथवा बंद किए जाने की सूचना:- यदि कोयला खान अथवा सीम के किसी भाग में खनन प्रचालन यथास्थिति, अस्थायी अथवा स्थायी रूप के किसी भी कारणवश निलंबित अथवा बंद कर दिए गए हों तो कोयला खान का स्वामी, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक, ऐसे निलंबन अथवा बंद किए जाने की तारीख से तीस दिनों के अंदर कोयला नियंत्रक को ऐसे निलंबन अथवा बंद किए जाने की सूचना देगा ।

11. कोयला खान के उप विभाजन का प्रतिषेध करने की शक्ति :- किसी कोयला खान अथवा कोयला खानों के किसी समूह का स्वामी, जिसे नियम 9 के अंतर्गत एकल खनन के रूप में खनन करने की अनुमति दी गई है अथवा जो इस आदेश के लागू होने के समय से एकल यूनिट के रूप में खनन कर रहे हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी खनन एकक को उप विभाजित करने की अथवा एक पृथक एकक के रूप में कार्य करने की अनुमति नही दी जाएगी ।

12. कोयला खानों के निरीक्षण की शक्ति :- कोयला नियंत्रक अथवा लिखित रूप में उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता है :-

(i) कोयला खान अथवा सीम अथवा सीम के किसी भाग में हो रहे कोयले के उत्पादन के संबंध में कोयला खान के किसी स्वामी अथवा अभिकर्ता अथवा प्रबंधक को उसके कब्जे में की ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसमें पट्टा क्षेत्र की पूरी सीमाएं, परित्यक्त क्षेत्र का प्लान, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र,अग्नि दुर्घटना वाले क्षेत्र दर्शाए गए हों;

(ii) किसी दस्तावेज, रजिस्टर और खनन संबंधित योजना को प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा;

(iii) कोयला खान के स्वामी अथवा अभिकर्ता अथवा प्रबंधक के कब्जे में के किसी खान के प्लान का निरीक्षण कर सकेगा; और

(iv) किसी कोयला खान में प्रवेश कर सकेगा अथवा उसका निरीक्षण कर सकेगा ।

13. जो इन नियमों के किसी उपबंध का कोई उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से और उल्लंघन के जारी रहने की दशा में, ऐसे प्रथम उल्लंघन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है ऐसे किसी अतिरिक्त जुर्माने से जो पांच सौ रूपए तक का सकेगा, दंडनीय होगा ।

14. किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसी बात के लिए, जो इन नियमों के अधीन सद्भाव से की गई है या सद्भाव में किया जाना आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी ।

15. कोयला नियंत्रक को शक्तियों का प्रत्यायोजन :- नियम 6, 7, और 11 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार की शक्तियां, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोयला नियंत्रक को प्रत्यायोजित की जा सकेंगी ।

16. छूट देने की शक्ति:- इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार किसी कठिनाई से बचने के लिए अथवा कसी अन्य उपयुक्त और पर्याप्त कारण से, यदि उपयुक्त समझे तो, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके किसी कोयला खान के स्वामी अथवा किसी श्रेणी अथवा व्यक्ति को इन नियमों के किसी उपबंध से छूट दे सकेगी ।

[सं. 28012/5/2001-सी.ए.]

ए.पी.वी.एन. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL AND MINES

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2004

G.S.R. 540(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement :

(i) These rules may be called the Colliery Control Rules, 2004.

(ii) These rules shall come into force from date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires , -

(i) " Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

(ii) 'coal' includes anthracite, bituminous coal, lignite, peat and any other form of carbonaceous matter sold or marketed as coal and also coke;

(iii) 'Coal Controller' means the person appointed as such by the Central Government under the provisions of the Coal Controller's Organisation (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1986;

(iv) ' colliery' means any mine or open working where winning or extraction of coal is the principal object of the mining, quarrying or any other operation carried on therein and includes a plant for the production of coke or for the washing of coal;

(v) 'disposal' includes agreeing or offering to dispose of, and the disposal of ownership or any proprietary interest, the right of possession and possession whether or not accompanied by any disposal of ownership or any proprietary interest or of the right to possession.

(vi) 'agent', 'manager' and 'owner' when used in relation to a colliery shall have the meanings respectively assigned to them in the Mines Act, 1952;

(vii) 'size' when used in relation to coal shall have the same specification as given, from time to time, by the Bureau of Indian Standards in their specification number IS : 437-1979

3. **Categorisation of Coal** .- The Central Government may, by notification in the Official Gazette, prescribe the classes, grades and sizes into which coal may be categorised and the specifications for each such class, grade or size of coal.

4. **Procedure for categorisation of coal** .- (1) On the basis of the categorisation notified by the Central Government under rule 3, the Coal Controller shall lay down the procedure and method of sampling and analysis of coal for the purpose of declaration and maintenance of grades of coal mined in a colliery.

(2) The owner, agent or manager of a colliery shall declare the classes, grades or sizes of the coal of any seam or section of a seam in a colliery in accordance with the procedure specified in sub-rule (1).

(3) The owner, agent or manager of the colliery shall allow the inspection of the colliery undertaken by the Coal Controller or any officer authorised by him in this regard so as to ensure the correctness of the class, grade or size declared. During inspection, if the Coal Controller or the officer authorised by him decides to draw sample, the owner, agent or manager of the colliery shall provide all reasonable facilities and assistance for drawing such sample.

(4) If after inspection or from the sample drawn, the Coal Controller is satisfied that the grade as declared by the owner, agent or the manager of the colliery does not conform to the grade notified under rule clause (3) the owner , agent or manager of the colliery shall be bound to revise the grade as per the directions issued by the Coal Controller.

(5) If any dispute arises between a consumer and a owner of a colliery regarding the declaration of grades of coal, the same may be referred to the Coal Controller whose decision shall be binding on the owner of the colliery. A memorandum of reference to the Coal Controller regarding such dispute shall be accompanied by a fee of rupees two thousand and five hundred and in such manner, as may be specified by the Coal Controller, from time to time.

5. **Submission of returns and information to Coal Controller** .- Every owner of a colliery and every person engaged in the business of production, supply and distribution of , or trade and commerce in coal, on being directed to do so by the Coal Controller shall submit such returns and other information, within such time, as may be specified in the direction.

6. **Directions to regulate the disposal of coal stocks** .- The Central Government may, from time to time, issue such directions as it may deem fit to any owner of a colliery regulating the disposal of stocks of coal or of the expected output of coal in the colliery during any period.

7. **Power of the Coal Controller for quality surveillance .-** The Coal Controller or any other officer authorised by him in writing shall be competent to -

(a) cause the owner, agent or manager of a colliery or any person engaged in or incharge of the loading of coal in wagons, trolleys or trucks in a colliery, to adjust the loading according to the procedure laid down by the Coal Controller regarding grades and size of coal and to remove impurities like shales and stones from the wagons, trolleys or trucks loaded with coal;

(b) detain the wagons, trolleys or trucks at the colliery or weighbridge for adjustment of loading after inspection; and

(c) return the wagons, trolley or trucks to the colliery from weighbridge for unloading and reloading with the specified quantity and quality of coal.

8. **Power to prohibit or limit the mining or production of coal .-** The Central Government may issue such directions as it may deem fit to any colliery owner prohibiting or limiting the mining or production of any grade of coal and the colliery owner shall comply with such directions.

9. **Requirement of prior permission to open a coal mine, seam or section of a seam .-** (1) No owner of a colliery shall open a coal mine, seam or a section of a seam without the prior permission in writing of the Central Government.

(2) No owner of a colliery shall also commence mining operations in a colliery or seam or a section of a seam, in which the mining operation has been discontinued for a period exceeding one hundred and eighty days, without the prior permission in writing of the Central Government.

10. **Notice of suspension or closure .-** If the mining operations in a coal mine or seam or a section of a seam is suspended or closed temporarily or permanently, as the case may be, for any reason whatsoever, then a notice of such suspension or closure shall be given by the owner, agent or manager of the colliery within a period of thirty days from the date of such suspension or closure to the Coal Controller.

11. **Power to restrict sub-division of a coal mine .-** No owner of a colliery or a group of collieries which has been permitted under rule 9 to work as a single mining unit or which has been working as a single unit at the time of commencement of these rules shall be allowed to sub-divide his mining unit or to work as a separate unit without the prior permission of the Central Government.

12. **Power to inspect collieries .-** The Coal Controller or any other Officer authorised by him in writing may with a view to securing compliance of these rules ,-

(i) require any owner or agent or manager of a colliery to give any information in his possession relating to the production of coal in the coal mine or seam or section of a seam showing full boundaries of the leasehold area and plan of abandoned area, flooded area and area which has been or is on fire;

(ii) ask for production of any document, register and working plan,
(iii) inspect any mine plan in the possession of owner or agent or manager of a colliery, and

(iv) *enter and inspect any colliery.*

13. Whoever contravenes any of the provisions of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both, and in case of a continuing contravention, with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such contravention continues after the first such contravention.

14. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done or intended to be done in good faith under these rules.

15. **Delegation of powers to Coal Controller .-** The powers of the Central Government specified under rules 6,7 and 11 may be delegated by notification in the Official Gazette to the Coal Controller.

16. **Power to exempt .-** Notwithstanding anything contained in these rules, the Central Government may, if it deems proper for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reasons, by notification in the Official Gazette, exempt any colliery owner or any class or category of person from the provisions of any of these rules.

[No. 28012/5/2001-CA]

A.P.V.N. SARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.